न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री पंकज कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या

प्रार्थी–

नरसिंगराम पुत्र श्री नारायणराम जाति माली, उम्र 71 वर्ष, निवासी– 195 ढाला बेरा, माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी –

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित –

01 प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री अक्षय कुमार दवे एवं डॉ0 संजना धाणदिया

02. अप्रार्थी की तरफ से राजकीय पैरोकार

निर्णय **दिनांक** 21/6/24

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षित में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के पिता श्री नारायणजी की पैतृक कृषि भूमि वाके ग्राम माणकलाव खसरा नम्बर 67, 68, 69, 70, 78, 79, 79/1 80, 81, कुल खसरान् 9 कुल रकबा 179 बीघा 11 बिस्वा भूमि आई हुई थी। श्री नारायणजी के जीवन काल में ही उनके पांचो पुत्रों एवम् नारायणजी के मध्य दिनांक 30–03–1973 को आपसी सहमती से पैतृक जायदाद का विभाजन भी विधिवत रूप से तहसीलदार जोधपुर के समक्ष उपस्थित होकर कर दिया गया था। जिसके अनुसार प्रार्थी के हिस्से में खसरा नम्बर 68 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 69 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 70 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 80 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरान् 5 कुल रकबा 34 बीघा 15 बिस्वा भूमि रखी गई थी। पक्षकरान् के मध्य निष्पादित उपरोक्त विभाजन की पालना में विधिवत रूप से नामांतरकरण संख्या 182 पारित

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

कर दिया गया एवम् प्रार्थी के हक में उपरोक्त खसरान की खातेदारी बाबत् पास बुक भी जारी कर दी गई। जिसके अनुसार भी प्रार्थी के खातेदार की खसरा नम्बर 68 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 69 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 70 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 80 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरान् 5 कुल रकबा 34 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज की गई है एवम् इसी कुल 34 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी बरवक्त विभाजन से बहैसियत रेकर्डेड खातेदार काश्तकार के अकेला काबिज है तथा काश्त करता आ रहा है। नामांतरकरण पारित किये जाने के उपरांत राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटीवंश विधिवत अंकन नहीं करते हुए खसरा नम्बर 79 की 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि के स्थान पर केवल 10 बीघा भूमि का ही अंकन किया गया जो कुल 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का कम अंकन किया गया हैं। इसी प्रकार खसरा नम्बर 79 की कुल 5 बीघा भूमि के स्थान पर 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि का ही अंकन करते हुए इस खसरा में कुल 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि का कम अंकन किया गया है। इसी प्रकार प्रार्थी के हिस्से एवं खातेदारी की खसरा नम्बर 80 की कुल 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि के स्थान पर 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि का अंकन करते हुए 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि कम दर्ज की गयी हैं। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी की खातेदार की कुल 34 बीघा 15 बिस्वा भूमि के स्थान पर उपरोक्तानुसार 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि कम उल्लेखित करते हुए प्रार्थी के खातेदारी में कुल 27 बीघा 18 बिस्वा भूमि ही दशाई जा रही हैं जब कि प्रार्थी आज दिन तक निरंतर अपने खांतेदारी की कुल 34 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज है। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का आज दिन तक कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई बेचान, हंस्तातरण अथवा अन्य व्ययन भी नहीं किया है एवम् न ही किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश भी पारित कर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि को कम करने बाबत् आदेश भी पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि उपरोक्त रकबा राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवंश कम इन्द्राज किये गये है जो एक लिपिकीय त्रुटी है जिसे सुधार करते हुए प्रार्थी के खातेदारी में खसरा नम्बर 79 का कुल रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 69 का कुल रकबा 5 बीघा एवम् खसरा नम्बर 80 का कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा दर्ज करते हुए प्रार्थी के खातेदारी की कुल भूमि 34 बीघा 15 बिस्वा दर्ज किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

अप्रार्थी तहसीलदार को जरिये सम्मन्न तलब कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई किंतु तहसीलदार जोधपुर द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया गया। राजकीय पैरोकार द्वारा अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए राजकीय रेकर्ड के अनुसार प्रार्थी के कथनों की ताईद करते हुए कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 67, 68, 69, 70, 78, 79, 79/1, 80, 81 कुल खसरान् 9 कुल रकबा 179 बीघा 11 बिस्वा ग्राम माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर की भूमि के पूर्व खातेदार प्रार्थी के पिता श्री नारायणजी थे जिनके द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 30.03.1973 को स्वयं एवं अपने पुत्रों के मध्य विधिवत रूप से विभाजन किया गया था जिसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 182 स्वीकृत किया गया। पक्षकरान् के मध्य निष्पादित आपसी पारिवारिक विभाजन के अनुसार प्रार्थी के हिस्से में खसरा नम्बर 68 की 5 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 69 की 5 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 70 की 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि, खसरा नम्बर 79 की 12 बीघा 8 बिस्वा एवम् खसरा नम्बर 80 की 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि रखी गई थी किन्तु उक्त विभाजन की अनुपालना में विधिवत रूप से राजस्व रेकर्ड संधारित नहीं किया गया है। खसरा नम्बर 79 में प्रार्थी के हिस्से में 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का कम इन्द्राज किया गया है इसी प्रकार खसरा नम्बर 69 में 5 बीघा के स्थान पर 1 बीघा 17 बिस्वा का ही इन्द्राज किया गया है। इस प्रकार इस खसरे में 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि का कम इन्द्राज किया गया है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 80 की प्रार्थी के हिस्से कुल 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि के स्थान पर 4 बीघा 4 बिस्वा का ही इन्द्राज करते हुए 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि कम दर्ज की गई है जो प्रार्थी के हक हिस्से की एवम् विभाजन में प्राप्त कुल 34 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि कम उल्लेखित करते हुए 27 बीघा 18 बिस्वा भूमि का ही इन्द्राज किया गया है।

बहस उभय पक्षकरान् सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित अनुसार कथन किया गया कि राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवंश खसरा नम्बर 79, 69 तथा खसरा नम्बर 80 में राजस्व कर्मचारीयों की त्रुटिवंश कुल 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि का कम उल्लेख किया गया है जब कि प्रार्थी आज दिन तक बरवक्त विभाजन से कुल 34 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर बहैसियत रेकर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा काश्त करता आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में कारित त्रुटी एकं लिपिकिय त्रुटी है जिसे सुधार कर प्रार्थी के रेकर्डेड खातेदारी के खसरा नम्बर 79 का रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 69 का कुल रकबा 12 बीघा एवं खसरा नम्बर 80 का कुल रकबा 12 बीघा 10

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

बिस्वा इन्द्राज करते हुए प्रार्थी के खातेदारी की कुल 34 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज की जावें।

पत्रावली के अवलोकन तथा प्रार्थी के अभिवचनों के संबध में राजकीय पैरोकार द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को के आधार पर यह स्वीकृत रूप से सिद्ध है कि प्रार्थी के पारिवारिक विभाजन के अनुरूप राजस्व रेकर्ड का संधारण नहीं किया गया है जो एक लिपिकिय त्रुटी है जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि ग्राम माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 79 के रकबा 10 बीघा के स्थान पर 12 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 69 के रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर कुल रकबा 5 बीघा एवम् खसरा नम्बर 80 के रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा के स्थान पर रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा एवम् कुल भूमि 27 बीघा 18 बिस्वा के स्थान पर 34 बीघा 15 बिस्वा दर्ज करे।

(पंकज कुमार) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर उत्तर

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

आदेश आज दिनांक 21/6/24 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन सुनाया गया।

(पंकज कुमार) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर उत्तर

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर